(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 103/2017

बउनवान

श्री रतनलाल पुत्र श्रीलाल गुर्जर निवासी बिन्दाराडी तहसील छबडा जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री योगेन्द्र शर्मा अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 19.08.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 212/2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 3.11.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बिन्दाराडी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 247 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल उढद की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 150/– रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 01.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण वर्ष 2017 में दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय, छबडा से मूल पत्रावली 10 बार तलब किये जाने के बाद भी प्राप्त नही होने पर पत्रावली में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी को ही आधार मानकर प्रकरण में अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना, अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी–14 की नकल शामिल किए वं पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दण्डित फरमाने मे कानूनी भूल की है। अलीलांट का

विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद आवेदन पेश कर दिनांक 28.11.2017 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल उढद की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके से सम्वत् 2073 मे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय मे 10 बार मूल पत्रावली तलब किये जाने के उपरांत भी अप्राप्त होने पर प्रकरण मे अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी को ही आधार मानकर कर प्रकरण मे अंतिम बहस सुनी गई।

जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के प्रकरण संख्या 212/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट बउनवान सरकार बनाम रतनलाल मे पारित निर्णय दिनांक 3.11.2017 की अपील इस न्यायालय मे पूर्व मे प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसको प्रकरण संख्या 118/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्णय दिनांक 31.1.2018 से अपील अपीलांट खारिज की जा चुकी है। प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रोप की जाती है। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:52:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: